दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 02.09.2024
निर्णय दिया : 12.09.2024

1) सि.वि.(मू.) 2955/2024 व सि.वि.आ. 40487/2024

प्रधान प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक व अन्य .....याचीगण

बनाम

रोहित मल्होत्रा .....प्रत्यर्थी

2) सि.वि.(मू.) 2933/2024 व सि.वि.आ. 39598/2024

मैसर्स टीडीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

बनाम

वि.प्र. के माध्यम से मृतक बीरजेंद्र सिंह मलिक .....प्रत्यर्थी

3) सि.वि.(मू.) 1818/2023 व सि.वि.आ. 57668/2023

मैसर्स इंडस हॉस्पिटल्स के अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व .....याचिकाकर्ता

बनाम

राजीव लोचन सिंह .....प्रत्यर्थी

4) सि.वि.(मू.) 1824/2023 व सि.वि.आ. 57684/2023

मैसर्स इंडस हॉस्पिटल्स के अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व .....याचिकाकर्ता

बनाम

राजीव लोचन सिंह .....प्रत्यर्थी

5) सि.वि.(मू.) 1858/2023 व सि.वि.आ. 43980/2024

महेंद्र एंड महेंद्र कृषि विभाग .....याचिकाकर्ता

बनाम

सुमित कुमार व अन्य .....प्रत्यर्थी

6) सि.वि.(मू.) 82/2024 व सि.वि.आ. 2212/2024

मेसर्स इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य

.....याचीगण

बनाम

सुश्री शेख मुमताज व अन्य .....प्रत्यर्थी

7) सि.वि.(मू.) 2934/2024, सि.वि.आ. 39608/2024 व सि.वि.आ. 39609/2024

तनेजा डेवलपर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व अन्य

.....याचीगण

बनाम

राज कुमार .....प्रत्यर्थी

8) सि.वि.(मू.) 2292/2024, सि.वि.आ. 20314/2024 व सि.वि.आ. 20315/2024

वर्मन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

बनाम

नागरिक उड्डयन निदेशालय, बिहार सरकार .....प्रत्यर्थी

9) सि.वि.(मू.) 2637/2024 व सि.वि.आ. 30832/2024

द ओरिएंटल इन्स्योरंस कंपनी लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

बनाम

रविंदर सिंह कांग .....प्रत्यर्थी

10) सि.वि.(मू.) 2892/2024

इंद्राणी बैश्य व अन्य .....याचिकाकर्ता

बनाम

अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व अन्य .....प्रत्यर्थी

11) सि.वि.(मू.) 3099/2024, सि.वि.आ. 44171/2024 व सि.वि.आ 44172/2024

डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

बनाम

सोहन सिंह व अन्य .....प्रत्यर्थी

12) सि.वि.(मू.) 2407/2024, सि.वि.आ. 24189/2024 व सि.वि.आ. 24191/2024

प्रबंधक महेंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड के द्वारा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

बनाम

पटेल संगीताबेन जगदीशभाई व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>उपस्थिति का ज्ञापन</u>

याचीगण की ओर से: श्री राजेश कुमार गौतम, श्री अनंत गौतम, श्री दिनेश शर्मा एवं श्री कुशाग्र नीलेश सहाय, सीएम(एम) 2955/2024 में अधिवक्तागण।

सुश्री कनिका अग्निहोत्री, सि.वि.(मू.) 2933/2024 एवं सि.वि.(मू.) 2934/2024 में अधिवक्ता।

श्री अक्षय मान, सि.वि.(मू.) 1818/2023 व सि.वि.(मू.) 1824/2023 में अधिवक्ता।

श्री जयंत के. मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आनंद शंकर झा एवं श्री सचिन मंत्री, सि.वि.(मू.) 1858/2023 में अधिवक्ता।

श्री हर्ष कौशिक, श्री अर्पित श्रीवास्तव एवं श्री सचिन ए., सि.वि.(मू.) 82/2024 में अधिवक्ता।

सुश्री कनिका अग्निहोत्री, सि.वि.(मू.) 2934/2024 में अधिवक्ता श्री जी. अरुद्र राव, श्री दयार सिंगला, श्री रोहन ए. नाइक एवं श्री अथर्व कोटवाल, सि.वि.(मू.) 2292/2024 में अधिवक्तागण।

श्री शिव बी. छेत्री, श्री रत्नेश्वर दास एवं सुश्री बरनाली डेका दास, सि.वि.(मू.) 2892/2024 में अधिवक्तागण।

श्री संजय के. चड्ढा एवं श्री तौसीफ अहमद, सि.वि.(मू.) 3099/2024 में अधिवक्तागण।

श्री आनंद शंकर झा, श्री सचिन मिंत्री एवं सुश्री मीनाक्षी एस. देवगन, सि.वि.(मू.) 2407/2024 में अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थीगण की ओर से: सि.वि.(मू.) 1818/2023 एवं सि.वि.(मू.) 1824/2023 में व्यक्तिगत रूप से प्रत्यर्थी
श्री अवध बिहारी कौशिक, सुश्री सलोनी महाजन, श्री प्रतीक गोयल एवं श्री ऋषभ कुमार, सि.वि.(मू.) 2934/2024 में अधिवक्तागण।
श्री आर.के. जोशी, सि.वि.(मू.) 2407/2024 में अधिवक्ता।
श्री राजिंदर गुलाटी एवं श्री राजीव भसीन, सि.वि.(मू.) 1858/2023 में अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज जैन

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. श्री मनोज जैन</u>

1. उपरोक्त सभी याचिकाओं में एक सामान्य प्रश्न उठा है और सभी संबंधित अधिवक्तागण की सहमति से, जब दिनांक 01.08.2024 को इन मामलों की सुनवाई हुई, तो सि.वि.(मू.) 2933/2024 को मुख्य मामले के रूप में लेने पर सहमति हुई, हालांकि अन्य अधिवक्तागण को भी बहस करने की अनुमति दी गई थी।

2. प्रश्न यह है कि क्या माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में "एनसीडीआरसी") द्वारा पारित आदेश, दिल्ली राज्य आयोग के अलावा किसी अन्य राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किसी अपील या पुनरीक्षण पर विचार करते समय, इस न्यायालय के समक्ष भारत के

संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है या क्या ऐसे किसी याचिकाकर्ता को उस अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में जाना चाहिए जहां पहली बार वाद हेतुक उत्पन्न हुआ था।

3. निस्संदेह, यह मुद्दा हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *सिद्धार्थ एस मुखर्जी बनाम माधव चंद मित्तर* के मामले में सिविल अपील सं. 3915-16/2024 में दिनांक 04.03.2024 को दिए गए निर्णय के मद्देनजर स्पष्ट रूप से कवर किया गया है और उपरोक्त निर्णय के बाद, इसी तरह की स्थिति वाले कई अन्य याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ अपनी-अपनी याचिकाएं वापस ले ली थीं।

4. हालांकि, कुछ याचिकाकर्ता इसके विपरीत प्रतिविरोध करते हैं और उनके अनुसार, इस न्यायालय के पास ऐसी याचिकाओं पर विचार करने की अधिकारिता है तथा यह उपर्युक्त पृष्ठभूमि में है कि इस न्यायालय ने उपर्युक्त याचिकाओं के समूह में दलीलें सुनी हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि *सिद्धार्थ एस मुखर्जी* (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई विशिष्ट टिप्पणियों के बावजूद, यह न्यायालय ऐसी किसी याचिका पर विचार कर सकता है या नहीं।

5. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि एनसीडीआरसी द्वारा पारित ऐसा आदेश, जिसके खिलाफ अपील दायर करने का कोई उपाय नहीं है, को भारत के

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर करके परखा जा सकता है। इस संबंध में *इबरत फैज़ान बनाम ओमेक्स बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड* : 2023 (11) एससीसी 594 का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

5.1 *इबरत फैज़ान (पूर्वोक्त)* मामले में, प्रारंभ में, दिल्ली राज्य उपभोक्ता निवारण फोरम के समक्ष एक शिकायत दायर की गई थी।

5.2 मामला अंततः एनसीडीआरसी तक पहुँचा।

5.3 एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश को प्रारंभ में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत ऐसी याचिका पोषणीय थी। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सकारात्मक उत्तर दिया गया ऐसा प्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था।

5.4 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, *एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम पी.एन. शर्मा व अन्य* : 1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 62 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एनसीडीआरसी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अर्थ में न्यायाधिकरण माना जा सकता है।

5.5 इसने *एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ व अन्य* : 1997 (3) एससीसी 261 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य संविधान न्यायपीठ के निर्णय का भी हवाला दिया और अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 58(1)(क)(iii) के तहत अपील में एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष पोषणीय थी।

6. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पोषणीय होगी।

7. हालाँकि, प्रश्न यह है कि कौन सा उच्च न्यायालय?

8. क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एनसीडीआरसी का स्थान दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय में है या क्या *सिद्धार्थ एस मुखर्जी* (पूर्वोक्त) के मद्देनजर, अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय जहां वाद हेतुक का मूल कारण उत्पन्न हुआ था।

9. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे दिया गया है:-

58. राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता —

(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता होगी-

(क) विचार करना -

(i) ऐसी शिकायतें जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक हो:

परन्तु जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे, वहां वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे;

(ii) अनुचित अनुबंधों के विरुद्ध शिकायतें, जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक है;

(iii) किसी भी राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील;

(iv) केंद्रीय प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील; तथा

(ख) किसी उपभोक्ता विवाद में, जो किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है या उसके द्वारा विनिश्चित किया जा चुका है, अभिलेखों को मंगाना तथा समुचित आदेश पारित करना, जहां राष्ट्रीय आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे राज्य आयोग ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता के साथ किया है।

(2) राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों और राष्ट्रपति द्वारा एक या अधिक सदस्यों

के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, न्यायपीठ का गठन किया जा सकेगा:

बशर्ते कि न्यायपीठ का वरिष्ठतम सदस्य न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा।

(3) जहां किसी न्यायपीठ के सदस्यों की किसी मुद्दे पर राय भिन्न हो, वहां यदि बहुमत हो तो उन मुद्दों का निर्णय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, किन्तु यदि सदस्य बराबर-बराबर बंटे हों तो वे उस मुद्दे या मुद्दों का उल्लेख करेंगे जिन पर उनमें मतभेद हो, और अध्यक्ष को संदर्भ देंगे जो या तो स्वयं उस मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई करेगा या मामले को ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर अन्य सदस्यों में से एक या अधिक द्वारा सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों का निर्णय मामले की सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जिन्होंने इसे पहली बार सुना था:

बशर्ते कि अध्यक्ष या अन्य सदस्य, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार संदर्भित मुद्दे या मुद्दों पर ऐसे संदर्भ की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर राय देगा।

67. राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील–

धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) या (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेशों से व्यथति कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेशों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परंतु सर्वोच्च न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दायर न करने का पर्याप्त कारण था:

आगे यह भी प्रावधान है कि किसी ऐसे व्यक्ति की अपील, जिससे राष्ट्रीय आयोग के आदेश के अनुसार कोई राशि देने की अपेक्षा की

जाती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि उस व्यक्ति ने उस राशि का पचास प्रतिशत, विहित तरीके से जमा नहीं कर दिया हो।

अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति–

(1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्यक्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, सर्वत्र किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, समुचित मामलों में किसी सरकार को, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित करने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर निर्देश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा एवं उत्प्रेषण रिट, या उनमें से कोई भी रिट है, जारी करने की शक्ति होगी।

(2) खंड (1) द्वारा किसी सरकार, प्राधिकरण या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग ऐसे राज्यक्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकरण का मुख्यालय अथवा ऐसे व्यक्ति का निवास उन राज्यक्षेत्रों के भीतर न हो।

(3) जहां कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध खंड (1) के अधीन याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में, चाहे व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से, कोई अंतरिम आदेश दिया गया है, बिना-

(क) ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की प्रतियां और ऐसे अन्तरिम आदेश के लिए दलील के समर्थन में सभी दस्तावेज उपलब्ध कराना; तथा

(ख) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुए, ऐसे आदेश को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करता है और उस

पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया है या ऐसे पक्ष के अधिवक्ता को ऐसे आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करता है, उच्च न्यायालय आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर या उस तिथि से जिस दिन ऐसे आवेदन की प्रति इस प्रकार प्रस्तुत की गई है, जो भी बाद में हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है, अगले दिन की समाप्ति से पहले, जिसके बाद उच्च न्यायालय खुला है, उसका निपटान करेगा; और यदि आवेदन का इस प्रकार निपटान नहीं किया जाता है, तो अंतरिम आदेश, उस अवधि की समाप्ति पर, या, जैसा भी मामला हो, उक्त अवधि के अगले दिन समाप्त होने पर, खाली हो जाएगा।

(4) इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति, अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के अल्पीकरण में नहीं होगी।

अनुच्छेद 227, उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति–

[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण प्राप्त होगा, जिनके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है।]

(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उच्च न्यायालय-

(क) ऐसे न्यायालयों से विवरण मंगाना;

(ख) ऐसे न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए सामान्य नियम बनाना और जारी करना तथा प्रारूप निर्धारित करना; तथा

(ग) किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप विहित कर सकेगा।

(3) उच्च न्यायालय ऐसे न्यायालयों के शेरिफ और सभी क्लर्कों और अधिकारियों तथा उनमें अभ्यास करने वाले न्यायवादियों, अधिवक्ताओं एवं प्लीडरों को दी जाने वाली फीस की तालिका भी तय कर सकता है:

परंतु खंड (2) या खंड (3) के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए कोई प्रारूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध से असंगत नहीं होगी तथा इनके लिए राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी।

10. अब सिद्धार्थ एस. मुखर्जी (पूर्वोक्त) में दिए गए उपर्युक्त निर्णय पर ध्यान देना उचित होगा।

10.1 उक्त मामले में, निस्संदेह, कार्रवाई का कारण कोलकाता में उत्पन्न हुआ था और संबंधित शिकायतकर्ता ने *जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, कोलकाता* के समक्ष विपरीत पक्षकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

10.2 ऐसी शिकायत को खारिज कर दिया गया और इसलिए शिकायतकर्ता ने *कोलकाता में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिम बंगाल* के समक्ष अपील दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

10.3 इस आदेश को एनसीडीआरसी के समक्ष पुनरीक्षण दायर करके चुनौती दी गई थी और एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ ही, प्रारंभ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए एक विशेष अनुमति दायर की गई थी।

10.4 हालाँकि, *यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेश चंद जैन और अन्य* : (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 877 के मद्देनजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे याचिकाकर्ता को अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

10.5 चूंकि एनसीडीआरसी दिल्ली में स्थित है, इसलिए याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय ने माना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर की।

10.6 इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने नोटिस जारी किया और ऐसे नोटिस जारी होने से व्यथित होकर मामला पुनः सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा।

10.7 प्रश्न यह था कि क्या दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय माना जा सकता है या नहीं?

10.8 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कार्रवाई का पूरा कारण कोलकाता में उत्पन्न हुआ था और केवल इसलिए कि एनसीडीआरसी ने पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दे दी थी, दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिकारिता निहित करने का आधार नहीं होगा।

11. *सिद्धार्थ एस. मुखर्जी मामले* में उक्त निर्णय के पैरा 9 और 10 इस प्रकार हैं:-

" 9. हमारी राय में, इसे दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने के लिए शायद ही आधार माना जा सकता है। प्रत्यर्थी सं. 1 को आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था क्योंकि वर्तमान मामले में कार्रवाई का पूरा कारण कोलकाता में उत्पन्न हुआ है, जहाँ दिनांक 24 फरवरी, 2012 को रोगी का डिम्बग्रंथि के कैंसर के लिए ऑपरेशन किया गया था तथा दिनांक 30 जुलाई, 2014 को उसकी मृत्यु हो गई थी। शिकायत का मामला उपरोक्त कार्रवाई के कारण के आधार पर कोलकाता में दायर किया गया था। केवल इसलिए कि एनसीडीआरसी ने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दे दी है, दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिकारिता निहित करने का आधार नहीं होगा।

10. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं का निपटान प्रत्यर्थी सं. 1 को उचित अनुतोष पाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है.....''

12. इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तथ्य के बावजूद कि एनसीडीआरसी का कार्यालय दिल्ली में था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह माना कि चूंकि कार्रवाई का कारण कोलकाता में उत्पन्न हुआ था, इसलिए अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा और केवल इस तथ्य से कि याचिका को एनसीडीआरसी ने स्वीकार कर लिया है, दिल्ली उच्च न्यायालय को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी।

13. उपरोक्त विशिष्ट टिप्पणियों के बावजूद, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस न्यायालय के पास अधिकारिता है।

14. जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, मुख्य मामला सि.वि.(मू) 2933/2024 है और विद्वान अधिवक्ता सुश्री कनिका अग्निहोत्री ने सि.वि.(मू) 2933/2024 एवं सि.वि.(मू) 2934/2024 में याचीगण की ओर से प्रस्तुतियां पेश की हैं। याचिकाकर्ता अर्थात् महिंद्रा एंड महिंद्रा फार्म डिवीजन के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत के. मेहता ने सि.वि.(मू) 1858/2023 में प्रस्तुतियां दी हैं तथा याचिकाकर्ता अर्थात् मेसर्स इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष कौशिक ने सि.वि.(मू) 82/2024 में प्रस्तुतियां दी हैं।

15. अब समय आ गया है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर किया जाए।

16. विद्वान अधिवक्ता सुश्री कनिका अग्निहोत्री के मुख्य तर्कों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-

(i) *विचाराधीन याचिका अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है और उपरोक्त प्रावधान की एक झलक से पता चलता है कि याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय है, जो ऐसे किसी भी न्यायाधिकरण का अधीक्षण करता है और चूंकि न्यायाधिकरण इस न्यायालय के क्षेत्र और अधिकारिता में स्थित है, इसलिए इस न्यायालय के पास स्पष्ट अधिकारिता है।*

(ii) अपीलीय अधिकारिता तथा पुनरीक्षण अधिकारिता के बीच अंतर है और सिद्धार्थ एस मुखर्जी (पूर्वोक्तं) में, एनसीडीआरसी की चुनौती द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग किया गया जबकि सि.वि.(मू) 2934/2024 में याचिकाकर्ता एनसीडीआरसी के समक्ष लागू अपीलीय अधिकारिता से व्यथित है तथा इसलिए, सिद्धार्थ एस. मुखर्जी (पूर्वोक्त) में लागू अनुपात स्वतः लागू नहीं होता है।

(iii) सि.वि.(मू.) 2934/2024 के संदर्भ में, याचिकाकर्ता पंजाब राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश से कभी भी व्यथित नहीं था। बल्कि, यह शिकायतकर्ता ही था जिसने उक्त राज्य आयोग द्वारा पारित ऐसे आदेश को चुनौती दी थी और चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को एनसीडीआरसी द्वारा अनुमति दी गई थी, अतः वाद हेतुक केवल दूसरे पक्षकार के पक्ष में पारित ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ था। चूंकि 'वाद हेतुक' एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश के आधार पर उत्पन्न हुआ है, अतः इस न्यायालय के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने की अधिकारिता है।

(iv) वाद हेतुक तथ्यों का समूह होता है तथा पुनरीक्षण एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश भी नया वाद हेतुक प्रदान करेंगे।

(v) सिद्धार्थ एस. मुखर्जी (पूर्वोक्त) का निर्णय एल चंद्रा (पूर्वोक्त) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के पिछले निर्णय के अनुरूप नहीं है और चूंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दी गई टिप्पणियां बाध्यकारी प्रभाव रखती हैं, अतः यह न्यायालय सिद्धार्थ एस मुखर्जी (पूर्वोक्त) में माननीय खंड न्यायपीठ द्वारा दी गई टिप्पणियों से बाध्य नहीं है।

17. सुश्री कनिका अग्निहोत्री ने *भारत संघ व अन्य बनाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड व अन्य*: (2002) 1 एससीसी 567, *कुसुम इंगॉट्स व अलॉयज*

लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य (2004) 6 एससीसी 254, *अंबिका इंडस्ट्रीज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त*: 2007) 6 एससीसी 769, *स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य*: 2011 एससीसी ऑनलाइन डेल 3162, *भारत संघ बनाम संजीव चतुर्वेदी व अन्य*: वि.अनु.या. (सि.) सं. 530/2022 एवं *डॉ. वलसम्मा चाको बनाम लीलाम्मा जोसेफ व अन्य*: रि.या.(सि.) 18689/2023, *बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ व अन्य:* (1995) 6 एससीसी 749, *हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम दिलभर सिंह*: (सिविल अपील सं. 6177/2004), *रीता केश बनाम विश्वनाथ सिंघा*: (2018) एससीसी ऑनलाइन एनसीडीआरसी 120, *लुसिना लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य:* (2022) 2 एससीसी 161, *यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुरेश चंद जैन व अन्य*: (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 877 व *राजीव चतुर्वेदी बनाम आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण:* (2024) एससीसी ऑनलाइन राज 365 को भी संदर्भित किया।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत के मेहता ने प्रतिविरोध किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के बीच एक सूक्ष्म अंतर है क्योंकि पूर्व में "वाद हेतुक" के आधार पर अधिकारिता प्रदान की जाती है जबकि बाद में केवल "अवस्थान" तक ही सीमित है और इसलिए, अवस्थान के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से *एल चंद्र कुमार* (पूर्वोक्त) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा की गई

विशिष्ट टिप्पणियों के मद्देनजर उन्होंने *भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय:* (2022) 3 एससीसी 133 एवं *मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* पर भी भरोसा किया है।

18.1 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेहता के अनुसार, *मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* (पूर्वोक्त) में उल्लिखित अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय केवल दिल्ली उच्च न्यायालय होगा, कोई अन्य उच्च न्यायालय नहीं होगा।

18.2 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत के मेहता ने भी अपने सामान्य विनम्र तरीके से प्रस्तुत किया है कि *सिद्धार्थ एस. मुखर्जी* (पूर्वोक्त) ने *भारत संघ बनाम अलापन बंद्योपाध्याय* (पूर्वोक्त) एवं *एल चंद्र कुमार* (पूर्वोक्त) का संज्ञान नहीं लिया है, अतः इसमें की गई टिप्पणियां इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी।

19. श्री हर्ष कौशिक, विद्वान अधिवक्ता ने श्री जयंत के मेहता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री कनिका अग्निहोत्री को भी पूरक बनाया है, लेकिन मिश्रित सिद्धांत के साथ आने से अधिकारिता से संबंधित पहलू को एक और आयाम दिया है। हालांकि उनके अनुसार *सिद्धार्थ एस मुखर्जी* (पूर्वोक्त) के अनुसार, अवस्थान अप्रासंगिक हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह न्यायालय ऐसी किसी भी याचिका पर विचार नहीं कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के साथ एक "मध्य मार्ग" अपनाने की

कोशिश की है और प्रस्तुत किया है कि भले ही वाद हेतुक के संदर्भ में अधिकारिता वाला उच्च न्यायालय कोई अन्य उच्च न्यायालय हो, लेकिन न्यायाधिकरण के अवस्थान तथा स्थल को देखते हुए अधिकारिता न केवल ऐसे अन्य उच्च न्यायालय के पास बल्कि इस न्यायालय के पास भी निहित होगा।

20. प्रत्यर्थीगण के प्रतिविरोधों पर विचार करने तथा समग्र स्थिति का विश्लेषण करने से पहले, यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि *एल चंद्र कुमार* (पूर्वोक्त) एवं *भारत संघ बनाम अलापन बंद्योपाध्याय* (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णयों को पहले ही *भारत संघ बनाम संजीव चतुर्वेदी व अन्य* (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वृहद न्यायपीठ को भेज दिया गया है।

21. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मामले को वृहद न्यायपीठ के पास भेजने का मतलब यह नहीं है कि सुव्यवस्थित विधिक स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए तथा *केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व अन्य बनाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं अन्य*: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1140 का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है और यह सही भी है केवल इसलिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी प्रमुख निर्णय को वृहद् न्यायपीठ को भेजा गया है या उससे संबंधित पुनर्विलोकन याचिका लंबित है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उच्च न्यायालय विधि के आधार पर मामलों का निर्णय करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे और इसलिए, जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा विशेष रूप से निर्देश न दिया जाए, ऐसे संदर्भ या दृष्टिकोण के परिणाम की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है।

22. आइए अब हम सि.वि.(मू.) 2434/2024 में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध बिहारी कौशिक के तर्कों पर भी ध्यान दें।

23. उनके प्रतिविरोध इस प्रकार हैं:-

(i) *केवल इस तथ्य से कि यह आदेश दिल्ली स्थित एनसीडीआरसी द्वारा पारित किया गया है, इस न्यायालय को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं होगी।*

(ii) सिद्धार्थ एस. मुखर्जी (पूर्वोक्त) में निहित टिप्पणियां और निर्देश बहुत स्पष्ट एवं प्रकट हैं तथा इस तथ्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि अधिकारिता केवल उसी न्यायालय में निहित होगी, जहां वाद हेतुक उत्पन्न हुआ हो।

(iii) उक्त अवलोकन आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि बदलते समय के साथ समन्वय में बहुत सचेत अवलोकन हैं।

(iv) वाद हेतुक तथ्यों के समूह पर आधारित होता है और किसी को यह दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि जब कोई न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से व्यथित महसूस करेगा तो अधिकारिता लागू होगी।

(v) जिन तथ्यों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, वे किसी भी याचिका को दायर करने से पहले के तथ्यों तक ही सीमित होंगे और केवल इसलिए कि उसके बाद निर्धारित न्यायिक पदानुक्रम के संदर्भ में कुछ न्यायिक उपाय का लाभ उठाया गया था तथा पुनरीक्षण या अपील में आदेश पारित किए गए थे, इस तरह के आदेश अधिकार को कोई नए पट्टे या वाद हेतुक नहीं देंगे।

24. *कुसुम इंगॉट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ:* (2004) 6 एससीसी 254, *अंगिका डेवलपमेंट सोसाइटी बनाम भारत संघ व अन्य:* रि.या.(सि.) सं. 11934/2023, *डिपार्टमेंट परचेज सेंट्रल इन चार्ज (डीपीसी) जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम तपन कुमार बर्मन व अन्य* रि.या.(सि.) 13628/2023 एवं *कलकत्ता गुजराती एजुकेशन सोसाइटी बनाम भविष्य निधि आयुक्त* (2020) 19 एससीसी 380 पर भरोसा किया गया है।

25. यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी श्री राजीव लोचन सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में शामिल हुए कहा कि याचिका दिल्ली में स्वीकार्य होगी। सि.वि.(मू.) सं. 2407/2024 में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. जोशी ने उचित आदेश पारित करने का निर्णय न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया है तथा किसी भी प्रकार से कोई अन्य प्रस्तुतिकरण नहीं दिया है।

26. अब समय आ गया है कि उन मिसालों पर विचार किया जाए जिनका बार में उल्लेख किया गया है और जो अधिकारिता के मुद्दे से संबंधित हैं।

27. आइये सबसे पहले *एल. चन्द्र कुमार* (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करें जो सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ का निर्णय है।

27.1 उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचारार्थ रखे गए मुद्दों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इन्हें आरंभिक पैराग्राफ में निम्नानुसार दर्शाया गया है: -

(1) क्या संसद या राज्य विधानमंडलों को, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 323-क के खंड (2) के उपखंड (घ) द्वारा या अनुच्छेद 323-ख के खंड (3) के उपखंड (घ) द्वारा, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर, "सभी न्यायालयों" की अधिकारिता को पूरी तरह से बाहर करने की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 323-क के खंड (1) में निर्दिष्ट विवादों और शिकायतों के संबंध में या अनुच्छेद 323-ख के खंड (2) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी मामले के संबंध में, अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों को और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के विपरीत है?

(2) क्या संविधान के अनुच्छेद 323-क या अनुच्छेद 323-ख के तहत गठित न्यायाधिकरणों के पास किसी वैधानिक प्रावधान/नियम की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है?

(3) क्या इन न्यायाधिकरणों को, जैसा कि वे वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का निर्वहन करने में उच्च न्यायालयों के लिए प्रभावी विकल्प कहा जा सकता है? यदि नहीं, तो उन्हें उनके मूल उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए क्या परिवर्तन आवश्यक हैं?

27.2 इसमें तथ्य बहुत सरल थे।

27.3 मामला संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 से संबंधित है, जिसके तहत सेवा मामलों, राजस्व मामलों तथा सामाजिक-आर्थिक विकास एवं प्रगति के संदर्भ में विशेष महत्व के कुछ अन्य मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत ऐसे मामलों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को संरक्षित करते हुए व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के रिट अधिकारिता में कुछ संशोधन करते हुए, ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक एवं अन्य न्यायाधिकरणों का प्रावधान करना समीचीन माना गया था।

27.4 उक्त संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान का भाग XIV-क सम्मिलित किया गया जिसमें अनुच्छेद 323-क और अनुच्छेद 323-ख शामिल थे।

27.5 अनुच्छेद 323-क प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है जबकि अनुच्छेद 323-ख अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित है।

27.6 उपर्युक्त दोनों अनुच्छेदों में संबंधित विवादों/मामलों के संबंध में अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर, सभी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करने वाले खंड शामिल थे।

27.7 विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों को तथा अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दी गई न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को छीना जा सकता है और उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान की एक बुनियादी एवं आवश्यक विशेषता थी तथा इसलिए, अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों को व अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दी गई अधिकारिता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा थी।

27.8 इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का बहिष्कार असंवैधानिक था।

27.9 इस प्रश्न के संदर्भ में कि क्या ये न्यायाधिकरण वैधता का परीक्षण कर सकते हैं या नहीं तथा क्या उक्त पहलू का परीक्षण केवल उच्च न्यायालयों द्वारा ही किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 323-क और अनुच्छेद 323-ख के तहत बनाए गए ऐसे न्यायाधिकरणों के पास वैधानिक प्रावधानों एवं नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है। यह देखा

गया कि इन न्यायाधिकरणों के सभी ऐसे निर्णय, वैधता की जांच करते हुए, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसकी अधिकारिता में ऐसा न्यायाधिकरण स्थित है।

27.10 इस प्रकार, उपर्युक्त निर्णय से यह बहुत स्पष्ट और प्रत्यक्ष है कि अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों एवं अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का बहिष्कार असंवैधानिक माना गया था।

28. *एल चंद्रा* (पूर्वोक्त) के पैरा 79, 90, 92 व 99 में दी गई प्रासंगिक टिप्पणियों को उद्धृत करना उचित होगा। ये इस प्रकार हैं:-

> ***"79.*** *हम यह भी मानते हैं कि उच्च न्यायालयों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक अधीक्षण का प्रयोग करने की शक्ति भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति से भी बचना चाहिए जहां उच्च न्यायालयों को संवैधानिक व्याख्या के अलावा अन्य सभी न्यायिक कार्यों से वंचित कर दिया जाए।*
>
> *... ... ...*
>
> ***90.*** *हम सबसे पहले उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के बहिष्कार के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संबंध में अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा जा सकता है। हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरणों को उन मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां विधानों की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता है, तथा उन्हें स्वयं को केवल उन मामलों तक ही सीमित रखना चाहिए जहां संवैधानिक मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकते क्योंकि इससे कार्यवाही में*

विभाजन हो सकता है और अनावश्यक देरी हो सकती है। यदि ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया तो मुवक्किल के लिए संवैधानिक मुद्दे उठाने का रास्ता खुल जाएगा, जिनमें से कई बहुत ही बेकार हो सकते हैं, जिससे वे सीधे उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं और इस प्रकार न्यायाधिकरणों की अधिकारिता को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, विधि की इन विशेष शाखाओं में भी, कुछ क्षेत्रों में नियमित आधार पर संवैधानिक प्रश्नों पर विचार किया जाता है; उदाहरण के लिए, सेवा विधि के मामलों में, अधिकांश मामलों में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 की व्याख्या शामिल होती है। यह मान लेना कि न्यायाधिकरणों के पास संवैधानिक मुद्दों से जुड़े मामलों को निपटाने की कोई शक्ति नहीं है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा जिसके लिए उनका गठन किया गया था। दूसरी ओर, यह मान लेना कि ऐसे सभी निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन होंगे तथा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष लिए जाएंगे, जिसके प्रादेशिक अधिकारिता में संबंधित न्यायाधिकरण आता है, इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे। संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों में निहित विधायी कार्रवाई की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को बचाते हुए, यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायाधिकरण में न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के माध्यम से बेकार दावों को छांट लिया जाए। उच्च न्यायालय को गुणागुण के आधार पर तर्कपूर्ण निर्णय का भी लाभ मिलेगा, जो मामले पर अंतिम निर्णय देने में उसके लिए उपयोगी होगा।

... ...

***92.** हम यहां यह जोड़ना चाहेंगे कि मौजूदा व्यवस्था के तहत, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सभी न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील की व्यवस्था की गई है। हमारी उपर्युक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, यह स्थिति भी संशोधित मानी जाएगी। हमारा जो दृष्टिकोण है, उसके अनुसार, किसी न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी; बल्कि इसके स्थान पर, पीड़ित पक्षकार संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जाने का हकदार होगा तथा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय में जा सकेगा।*

***...** ... ...*

.....

99. *हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क के मद्देनजर, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 323-क का खंड 2(घ) और अनुच्छेद 323-ख का खंड 3(घ), जहां तक वे संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करते हैं, यह असंवैधानिक हैं। अधिनियम की धारा 28 तथा अनुच्छेद 323-क और 323-ख के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी विधानों में "अधिकारिता का बहिष्करण" खंड, उसी सीमा तक असंवैधानिक होगा। संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों को तथा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता हमारे संविधान के अनुल्लंघनीय मूल ढांचे का हिस्सा है। यद्यपि इस अधिकारिता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, फिर भी अन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करने में पूरक भूमिका निभा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323-क और अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरणों को वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता प्राप्त है। तथापि, इन न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय उस उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसकी अधिकारिता में संबंधित न्यायाधिकरण आता है। फिर भी, न्यायाधिकरण विधि के उन क्षेत्रों के संबंध में प्रथम दृष्टया न्यायालयों की तरह कार्य करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है। इसलिए, उन मामलों में भी मुवक्किलों के लिए सीधे उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना खुला नहीं होगा, जहां वे संबंधित न्यायाधिकरण की अधिकारिता की अनदेखी करके वैधानिक विधानों की वैधता पर सवाल उठाते हैं (सिवाय उन मामलों के जहां विशेष न्यायाधिकरण के गठन वाले विधान को चुनौती दी गई हो)। अधिनियम की धारा 5(6) वैध और संवैधानिक है तथा इसकी व्याख्या उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसा हमने बताया है।"*

29. संविधान न्यायपीठ के समक्ष मुद्दों पर पहले ही गौर किया जा चुका है और स्पष्ट रूप से, अनुच्छेद 227 के तहत कोई याचिका दायर करने के लिए

किस उच्च न्यायालय में जाना है, यह पहलू या मुद्दा न तो विषयवस्तु था और न ही किसी पक्षकार द्वारा इस पर बहस की गई।

30. उपर्युक्त विधिक स्थिति को *भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय* (पूर्वोक्त) में दोहराया गया था और *एल. चन्द्र कुमार* में प्रतिपादित प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 25 के तहत पारित निर्णय भी शामिल है, *केवल उस उच्च न्यायालय के समक्ष ही संवीक्षा के अधीन हो सकता है, जिसकी अधिकारिता में संबंधित न्यायाधिकरण स्थित हो।*

30.1 अब हम उक्त मामले के व्यापक तथ्यों पर भी ध्यान दें सकते हैं।

30.2 उक्त मामला पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्य सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को कलकत्ता न्यायपीठ से दिल्ली की प्रधान न्यायपीठ में स्थानांतरित करने से संबंधित था। लोक सेवक के अनुरूप आचरण न करने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।

30.3 हालाँकि, भारत संघ ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को कोलकाता न्यायपीठ से प्रधान न्यायपीठ में स्थानांतरित करने की मांग की।

30.4 अनुशासनात्मक कार्यवाही के ऐसे स्थानांतरण की अनुमति केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, दिल्ली द्वारा दी गई थी।

30.5 प्रत्यर्थी ने व्यथित होकर प्रधान न्यायपीठ, दिल्ली के इस आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

30.6 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण के उपरोक्त आदेश को अपास्त कर दिया।

30.7 *एल. चंद्र कुमार मामले* में निर्धारित विधि को लागू करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान न्यायपीठ, जिसने कार्यवाही को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया था, नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में आती है और उस आदेश की न्यायिक पुनर्विलोकन उस उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, जिसके क्षेत्रीय अधिकारिता में वह न्यायपीठ स्थित है, जिसने आदेश पारित किया था। अतः, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को अधिकारिता से बाहर माना गया है।

30.8 स्पष्टतः, इसमें मुद्दा केवल केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ में कार्यवाही के स्थानांतरण से संबंधित था।

31. याचिकाकर्ताओं ने दोनों निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया है और यह तर्क दिया है कि "अवस्थान" ही एकमात्र प्रमुख कारक होना चाहिए।

32. यह न्यायालय यहां कुछ बातों पर प्रकाश डाल सकता है।

33. सबसे पहले, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, ए*ल. चंद्र कुमार* मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के समक्ष यह कभी विचारणीय नहीं था कि अनुच्छेद 227 के तहत ऐसी किसी याचिका पर विचार करने के लिए कौन सी अधिकारिता वाला न्यायालय सक्षम होगा।

34. ये विवाद्यक बिल्कुल अलग थे, जिनका उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया, तथा कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 और अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालयों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का बहिष्कार असंवैधानिक था।

35. *निस्संदेह, उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि इन न्यायाधिकरणों का निर्णय, तथापि, उच्च न्यायालय के समक्ष जांच के अधीन होगा, जिसकी अधिकारिता में संबंधित न्यायाधिकरण आता है।*

36. उपरोक्त विशिष्ट अवलोकन, अर्थात् *संबंधित न्यायाधिकरण किसकी अधिकारिता में आता है,* याचिकाकर्ताओं के प्रस्तुतिकरण का आधार प्रतीत होता है।

37. हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संविधान न्यायपीठ के समक्ष मुद्दे मुख्य रूप से इस बात से संबंधित थे कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का तथा अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का बहिष्कार अनुमेय या असंवैधानिक था और इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों के विशिष्ट उत्तर में विनिश्चय-आधार, बाध्यकारी सिद्धांत एवं बाध्यकारी मिसाल शामिल हैं।

38. *कैरियर इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सोसाइटी बनाम ओम श्री ठाकुरजी एजुकेशनल सोसाइटी : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 586 में,* माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया *कि निर्णय देते समय न्यायाधीश द्वारा कही गई हर बात ही मिसाल नहीं बनती है। किसी न्यायाधीश के निर्णय में विधिक मिसाल के रूप में बाध्यकारी एकमात्र बात वह सिद्धांत है जिसके आधार पर मामले का निर्णय किया गया है और इस कारण से, निर्णय का विश्लेषण करना एवं उसमें से इतरोक्ति को अलग करना महत्वपूर्ण है।*

39. इस प्रकार, उक्त अधिनियम के संदर्भ में अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर करने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता के निर्धारण का पहलू एल चंद्र *कुमार (पूर्वोक्त)* में कभी भी विचार में नहीं था।

40. इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि उक्त संवैधानिक संशोधन के तहत देश भर में विभिन्न प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए। आज की समय में, पूरे भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 19 न्यायपीठ

और इतनी ही संख्या में सर्किट न्यायपीठ हैं। एनसीडीआरसी एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का आयोग है, जिसके पास न केवल मूल अधिकारिता है, बल्कि यह देश भर में स्थित राज्य आयोगों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील और पुनरीक्षण भी स्वीकार करता है।

41. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एक उदार सामाजिक विधि है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करता है तथा उनके अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण का प्रावधान करता है।

42. विधि कभी स्थिर नहीं रहती है और संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत जटिल मुद्दों के कारण, समय-समय पर न्यायालय भी विकसित होते रहते हैं एवं बदलती जरूरतों के अनुरूप तथा बदलते समय व प्रवृत्तियों के साथ अनुकूलन करते हुए नए सिद्धांतों के साथ सामने आते हैं।

43. ऐसी याचिकाओं पर विचार करते समय दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव आया है, जिसमें न्यायाधिकरण कई राज्यों पर नियंत्रण रखता है और *सिद्धार्थ एस मुखर्जी (पूर्वोक्त)* इसका एकमात्र उदाहरण नहीं है।

44. केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *अंबिका इंडस्ट्रीज (पूर्वोक्त) एवं कलकत्ता गुजराती एजुकेशन सोसाइटी (पूर्वोक्त)* के निर्णयों का संदर्भ लिया जाए।

45. *अंबिका इंडस्ट्रीज (पूर्वोक्त)* मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा *विभिन्न राज्यों में स्थित कई न्यायाधिकरणों* पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के संदर्भ में प्रश्न पर विचार किया था।

45.1 अपीलार्थी लखनऊ में कारोबार कर रहा था। उक्त स्थान पर इसका आकलन भी किया गया।

45.2 निर्धारण से संबंधित मामला अंततः *केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी), नई दिल्ली* के समक्ष पहुंचा।

45.3 उक्त न्यायाधिकरण *उत्तर प्रदेश राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं महाराष्ट्र राज्य* की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था।

45.4 न्यायाधिकरण की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-छ के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।

45.5 दिल्ली उच्च न्यायालय ने *बॉम्बे स्नफ़ (प्रा) लिमिटेड बनाम भारत संघ* [(2006) 194 ईएलटी 264 (डेल)] में पूर्व निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि, केवल अवस्थिति के आधार पर, इस मामले में उसका कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं थी।

45.6 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस क्षेत्र में लिए गए निर्णय, जिनका संज्ञान *कुसुम इनगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड* [(2004) 6 एससीसी 254] में लिया गया था, से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि संवैधानिक संशोधन करके किस प्रकार 'अवस्थान सिद्धांत' को दरकिनार कर दिया गया था। यह भी देखा गया कि *नसीरुद्दीन* एआईआर 1976 एससी 331 एवं *कुसुम इनगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड* (2004) 6 एससीसी 254 में, न्यायालय इस प्रकृति के प्रश्न पर विचार नहीं कर रहा था तथा इसलिए, यह इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकारी नहीं था कि उच्च न्यायालय, जो न्यायाधिकरण के अवस्थान पर ही स्थित है, के पास अकेले अधिकारिता होगा। यह भी कहा गया कि यदि *वाद हेतुक* सिद्धांत को प्रभावी किया गया तो एक से अधिक उच्च न्यायालयों की अधिकारिता प्राप्त हो सकती है, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। इसने यह भी ध्यान दिया कि यह प्राधिकरण के अन्य क्षेत्र से अनभिज्ञ नहीं था, जहां न्यायाधिकरण के अवस्थान को उच्च न्यायालय की अधिकारिता के निर्धारण का आधार माना गया था, लेकिन यह भी कहा कि उन निर्णयों में, तथापि, इस मामले में उठाए गए तर्कों पर विचार नहीं किया गया था।

45.7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *अंबिका इंडस्ट्रीज (पूर्वोक्त)* मामले में पैरा 13 और 17 में निम्नानुसार टिप्पणी की है।

13. *जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, न्यायाधिकरण तीनों राज्यों पर अधिकारिता रखता है। तीनों राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति को वाद स्वामी (डोमिनस लिटिस) माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वह एक या दूसरे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का चुनाव करता है, तो उच्च न्यायालय का निर्णय केवल उन प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होगा जो उसकी अधिकारिता में हैं। यह केवल भिन्न अधिकारिता के अंतर्गत कार्य करने वाले प्राधिकारियों के लिए ही प्रेरक मूल्य का होगा। यदि किसी उच्च न्यायालय का बाध्यकारी प्राधिकार उसके प्रादेशिक अधिकारिता से आगे नहीं बढ़ता है और एक उच्च न्यायालय का निर्णय उसके प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर के अन्य उच्च न्यायालयों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी मिसाल नहीं होगा, तो किसी प्रकार की न्यायिक अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। बॉम्बे में किए गए निर्धारण के आदेश से प्रभावित एक निर्धारिती, इसके द्वारा निर्धारित विधि का लाभ उठाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान कर सकता है तथा जो उसके लिए उपयुक्त हो और इस प्रकार वह बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि से सफलतापूर्वक बच निकलने में सक्षम हो जाएगा।*

... ...

17. *इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 226 के खंड (2) के संदर्भ में, उच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन अधिकारिता का उपयोग करेगा तथा साथ ही अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के संबंध में उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति का भी उपयोग करेगा या यदि उसके साथ कोई वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, लेकिन वही परीक्षण तब लागू नहीं किए जा सकते जब अपील न्यायालय एक से अधिक राज्यों में स्थित न्यायाधिकरण पर अधिकारिता का प्रयोग करता है। <u>ऐसी स्थिति में, हमारी राय में, उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय, जहाँ पहला न्यायालय स्थित है, को उपयुक्त अपीलीय प्राधिकरण माना जाना चाहिए।</u> सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसी स्थिति पर विचार नहीं किया गया था। यह प्रत्येक न्यायालय की अधिकारिता का प्रावधान करता है। यहाँ तक कि जिला न्यायाधीश को भी अपने अधिकारिता का प्रयोग केवल राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर करना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत यह अकल्पनीय है कि जिला न्यायालय की अधिकारिता जिले की क्षेत्रीय अधिकारिता से परे प्रयोग की जा सकती है, सिवाय ऐसे मामलों को छोड़कर जहां विधि विशेष रूप से इसके लिए प्रावधान करता है।*

(जोर दिया गया)

46. परिणामस्वरूप, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें कहा गया था कि केवल अवस्थान के कारण उसके पास अधिकारिता नहीं है।

47. एनसीडीआरसी के संदर्भ में भी स्थिति काफी हद तक समान है, जिसकी अधिकारिता पूरे देश में है तथा इसमें सभी राज्य शामिल हैं।

48. *कुसुम इनगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड* (पूर्वोक्त) में, प्रश्न उठा था कि क्या विधि पारित करने से स्वयं ही रिट याचिका दायर करने के लिए कोई वाद हेतुक उत्पन्न हो जाएगा और क्या ऐसी याचिका वहां दायर की जा सकती है, जहां याचिका दायर करने का स्थान अर्थात् संसद या राज्य विधानमंडल स्थित हो। अपीलार्थी कंपनी मुंबई में पंजीकृत थी तथा ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के संबंध में, बैंक ने वित्तीय आस्तियों के *प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई)* अधिनियम, 2002 के तहत नोटिस जारी किया था। कंपनी ने उक्त अधिनियम की वैधता को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी लेकिन क्षेत्रीय अधिकारिता के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी गई। इस आदेश को बरकरार रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसदीय अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका केवल इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होगी क्योंकि भारत संघ की सीट दिल्ली में है।

49. अगला मामला *कलकत्ता गुजराती एजुकेशन सोसाइटी बनाम प्रोविडेंट फंड कमिश्नर* (पूर्वोक्त) का है।

49.1 उक्त मामले में, प्रारंभिक आदेश सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता द्वारा पारित किया गया था।

49.2 उक्त प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई।

49.3 उक्त सोसायटी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

49.4 चूंकि यह आदेश नई दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया था, इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसकी कोई अधिकारिता नहीं है, क्योंकि न्यायाधिकरण का अवस्थान नई दिल्ली में है, जो उसके क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर है।

49.5 अपीलार्थी सोसायटी ने व्यथित होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

49.6 उक्त मामले में, जैसा कि उल्लेख किया गया है, यद्यपि मूल सक्षम प्राधिकारी कलकत्ता का था, जिसने प्रथम दृष्टया आदेश पारित

किया था, तथापि रिट याचिका अधिकारिता के अभाव में वापस कर दी गई, क्योंकि न्यायाधिकरण का अवस्थान दिल्ली में था। तथापि, कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस आदेश को निम्नानुसार निरस्त कर दिया गया:-

> ***"6.*** *जहां तक मामले के उस पहलू का संबंध है, जैसा कि पहले ही इस मामले में उल्लेख किया गया है, मूल प्राधिकारी अर्थात् सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है तथा दिनांक 20-10-2005 का आदेश कलकत्ता में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था। हालांकि, उस अधिनियम की धारा 7-झ के तहत दी गई अपील नई दिल्ली स्थित न्यायाधिकरण में होगी। यदि स्थिति ऐसी है तो मूल प्राधिकरण कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता में स्थित है। मूल प्राधिकरण के स्थान पर रिट याचिका पर विचार करने की अधिकारिता से संबंधित पहलू पर, यह मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि इस न्यायालय ने अंबिका इंडस्ट्रीज बनाम सीसीई [अंबिका इंडस्ट्रीज बनाम सीसीई, (2007) 6 एससीसी 769] में मामले पर विचार करते समय इस मुद्दे को संबोधित किया है।*
>
> *... ... ...*
>
> *... ... ...*
>
> ***10.*** *यदि विधि के उक्त प्रावधान को ध्यान में रखा जाए, जैसा कि पहले ही नोट किया जा चुका है, तो वर्तमान मामले में पारित मूल आदेश कलकत्ता, पश्चिम बंगाल स्थित सहायक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पारित किया गया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में, हमारा मानना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर विचार करने से इंकार करने का निर्णय उचित नहीं था।*

50. *सिद्धार्थ एस मुखर्जी (पूर्वोक्त)* भी इसी चरण का अनुसरण करते हैं।

51. निस्संदेह, स्थिति की बराबरी नहीं की जा सकती जब ऐसा आयोग कई राज्यों में फैले अधिकारिता का प्रयोग करता है। ऐसी किसी भी स्थिति में,

अवस्थान को शासकीय कारक नहीं माना जाना चाहिए तथा यह पता लगाना होगा कि मूल कार्रवाई कहां से शुरू की गई थी, तथा इस प्रकार अधिकारिता भी संबंधित अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में ही निहित होना चाहिए, भले ही ऐसा न्यायाधिकरण कही और स्थित हो।

52. हालांकि यह न्यायालय इस सद्भावनापूर्ण उद्देश्य के बारे में भी सजग है जो इस प्रकार के वादी को उस उच्च न्यायालय में भेजकर पूर्ण होता है जहाँ मूल कार्यवाही दायर की गई थी। निस्संदेह, यह संबंधित वादी/उपभोक्ता के लिए भी काफी सुविधाजनक है।

53. भारत संघ बनाम संजीव चतुर्वेदी (पूर्वोक्त) में, जिसमें *एल चंद्र कुमार* और *अलपन* के निर्णयों को एक वृहद न्यायपीठ को संदर्भित किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन पर ध्यान दिया कि संवैधानिक योजना के तहत, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत उपचार नागरिकों के लिए अत्यंत मूल्यवान उपचार हैं, जहां वे रहते हैं, व्यवसाय करते हैं या तैनात हैं। इस योजना के तहत नागरिकों को निवारण के लिए विशेष रूप से दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, ऐसे उपायों को सीमित करना संविधान की भावना के, न्याय तक पहुंच की भावना एवं सिद्धांत के तथा संविधान के मूल ढांचे के विपरीत होगा, जिससे न्यायिक पुनर्विलोकन एक ही स्थान पर केंद्रित न होकर पूरे देश में हो सकेगी।

54. इबरत फैज़ान (पूर्वोक्त) में भी, यह निम्नानुसार देखा गया है: -

> ***"21.*** *जहां तक संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उपलब्ध उपचार का संबंध है, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति द्वारा अपील के माध्यम से उपाय बहुत महंगा हो सकता है और जैसा कि इस न्यायालय ने एल. चंद्र कुमार [एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (1997) 3 एससीसी 261 : 1997 एससीसी (एल एंड एस) 577] में कहा है, उक्त उपाय के वास्तविक और प्रभावी होने के लिए इसे अप्राप्य कहा जा सकता है। इसलिए, जब संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार प्रदान किया गया है, तो उस स्थिति में, पीड़ित पक्षकार, चाहे वह शिकायतकर्ता ही क्यों न हो, के न्याय तक पहुंच के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की विशेष अनुमति के बजाय, कम लागत पर संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करना होगा।*

55. अतः, इसी सादृश्य को लागू करते हुए, केवल दिल्ली उच्च न्यायालय में ही अवस्थान के आधार पर याचिका दायर करने की अनुमति देने से न्याय तक पहुंचने का अधिकार भी खतरे में पड़ सकता है, खासकर तब जब दिल्ली में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ हो।

56. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 53 के अनुसार, केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझे, राष्ट्रीय आयोग की क्षेत्रीय न्यायपीठ स्थापित कर सकती है। स्वाभाविक रूप से, यदि ये सिद्ध हो जाएं तो किसी भी क्षेत्रीय न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश को केवल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष ही चुनौती दी जा सकती है।

57. आधुनिक युग में तकनीकी उन्नति के आगमन के साथ, किसी भी मौजूदा न्यायपीठ को क्षेत्रीय न्यायपीठ के रूप में भी नामित किया जा सकता है, जो दिल्ली में स्थित होने पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई कर सकती है। उक्त स्थिति में भी, मात्र अवस्थान अधिकारिता के मुद्दे का उचित उत्तर नहीं दे सकता है।

58 प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवध बिहारी कौशिक ने बताया कि इससे पहले एनसीडीआरसी द्वारा कई सर्किट न्यायपीठ गठित की गई थीं और विभिन्न स्थानों पर बैठकें हुई थीं। ऐसी स्थिति में भी, सिर्फ इसीलिए कि एनसीडीआरसी का मुख्य कार्यालय अभी भी दिल्ली में ही है, याचिका दिल्ली में नहीं की जा सकती है।

59. तथ्य यह है कि *सिद्धार्थ एस. मुखर्जी* (पूर्वोक्त) में यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि केवल अवस्थान से दिल्ली उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं होगा और इसलिए संबंधित पक्षकार को अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में जाने का निर्देश दिया गया था।

60. यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से सहमत नहीं है कि उक्त निर्णय बाध्यकारी नहीं है या अनवधानता के कारण है।

61. न्यायालय ने यह भी नोट किया कि *सिद्धार्थ एस मुखर्जी (*पूर्वोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* (पूर्वोक्त) का संदर्भ दिया था।

62. *यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* (पूर्वोक्त) मामले में, एनसीडीआरसी ने याचिकाकर्ता द्वारा उसके समक्ष दायर प्रथम अपील को खारिज कर दिया तथा राज्य आयोग, दिल्ली द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस आदेश को चुनौती दी। प्रश्न यह था कि क्या ऐसी विशेष अनुमति याचिका पर, किसी याचिकाकर्ता को पहले *अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय* में जाने के लिए कहे बिना विचार किया जा सकता है।

63. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इब्रत फैजान (पूर्वोक्त) का विस्तृत उल्लेख किया तथा *एल चंद्र कुमार* (पूर्वोक्त) एवं *एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड* (पूर्वोक्त) पर भी गौर किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता को पहले अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा जाना चाहिए।

64. उक्त निर्णय के पैरा 38 और पैरा 42 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:-

> *"**38.** मामले के उपर्युक्त दृष्टिकोण से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें इस याचिका पर गुणागुण के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम याचिकाकर्ता से अनुरोध करते हैं कि वह पहले संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट आवेदन के माध्यम से या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत*

अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकारिता का आह्वान करके अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष जाए। बेशक, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने और अंतिम आदेश पारित करने के बाद, दोनों पक्षकारों में से किसी के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने की अनुमति मांगते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष आना हमेशा ही खुला रहता है।

42. *परिणामस्वरूप, इस याचिका का निपटान इस छूट के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय में जाए और विधि के अनुसार एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे।''*

65. इस न्यायालय को इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि उपरोक्त निर्णय के पैरा 38 में प्रयुक्त शब्द "न्यायक्षेत्रीय उच्च न्यायालय" हैं न कि "दिल्ली उच्च न्यायालय" है।

66. वाद हेतुक किसी भी मामले की पूर्व स्थापना के चरण में मौजूद तथ्यों का समूह है। मामला दायर करने के बाद, केवल इस तथ्य के आधार पर कि आदेश, उसकी कानूनी यात्रा के दौरान, किसी उच्च न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए थे, किसी भी नए वाद हेतुक के साथ समतुल्य नहीं माना जाना चाहिए।

67. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री कनिका अग्निहोत्री ने डॉ. वलसम्मा चाको (पूर्वोक्त) पर दृढ़ता से भरोसा किया है तथा यह लतर्क दिया है कि लगभग समान तथ्य-परिदृश्य में, एर्नाकुलम में केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227 के तहत दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि चूंकि एनसीडीआरसी दिल्ली उच्च न्यायालय के

क्षेत्रीय अधिकारिता में आता है, अतः उक्त न्यायालय अर्थात् केरल उच्च न्यायालय के पास कोई पर्यवेक्षी अधिकारिता नहीं है।

68. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि उक्त मामले में निर्णय केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2024 को सुनाया गया था, लेकिन संबंधित पक्षकारों ने सिद्धार्थ *एस मुखर्जी (पूर्वोक्त)* के उपरोक्त घोषणा की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं किया और इसलिए, यह न्यायालय बहुत विनम्रतापूर्वक, केरल उच्च न्यायालय के उक्त घोषणा से सहमत नहीं है।

69. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि *एल चंद्र कुमार* (पूर्वोक्त) में विनिश्चय आधार तथा बाध्यकारी सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 226/227 एवं अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने के प्रयोजनों के लिए क्रमशः उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहिष्कार को असंवैधानिक माना गया था। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के समक्ष मुद्दा कभी भी अवस्थान से संबंधित नहीं था कि अनुच्छेद 227 के तहत ऐसी कोई याचिका किस उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

70. संबंधित प्राधिकरण अर्थात् एनसीडीआरसी एक राष्ट्रीय आयोग है जो देश भर में स्थित राज्य आयोगों द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न अपीलों एवं पुनरीक्षणों पर विचार करता है तथा उक्त आयोग की उपरोक्त अनूठी विशेषता

को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि *सिद्धार्थ एस मुखर्जी* (पूर्वोक्त) में दिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा।

71. इसके अलावा, अंबिका इंडस्ट्रीज (पूर्वोक्त) और कलकता गुजराती (पूर्वोक्त) ने भी माना है कि जहां कोई न्यायाधिकरण या प्राधिकरण कई राज्यों पर नियंत्रण रखता है, वहां अवस्थान निर्णायक कारक नहीं होगा।

72. *यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* (पूर्वोक्त) में प्रयुक्त शब्द "उच्च न्यायालय अधिकारिता" का अर्थ स्वतः ही केवल दिल्ली उच्च न्यायालय नहीं माना जा सकता है। *इबरत फैज़ान* (पूर्वोक्त) में, जो केवल एनसीडीआरसी से संबंधित मामले से संबंधित था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पीड़ित पक्षकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकारिता रखने वाले "संबंधित उच्च न्यायालय" से संपर्क करना होगा तथा ऐसे वाक्यांश "संबंधित उच्च न्यायालय" एवं "अधिकारिता उच्च न्यायालय" का अर्थ *स्वतः ही* "दिल्ली उच्च न्यायालय" नहीं होगा, विशेष रूप से, *सिद्धार्थ एस मुखर्जी* (पूर्वोक्त) के मद्देनजर होगा।

73. परिणामस्वरूप, सभी वर्तमान याचिकाओं का निपटान किया जाता है तथा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अधिकारिता के अभाव में ये याचिकाएं इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचीगण को सदैव संबंधित अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों में याचिका दायर करके उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता होगी।

74. इन याचिकाओं में प्रकट किए गए तथ्यों के अनुसार, निम्नलिखित चार्ट यह दर्शाएगा कि वाद हेतुक प्रथमतः कहां उत्पन्न हुआ था: -

क्र.सं.	सि.वि.(मू.)	पक्षकारगण	वह प्राधिकरण जहां पहली बार कार्रवाई की गई
1	2955/2024	पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक व अन्य बनाम रोहित मल्होत्रा	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अधिकरण, फिरोजपुर, पंजाब
2	2933/2024	मेसर्स टीडीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम बिरजेंद्र सिंह मलिक मृतक, विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा, पंचकूला
3	1818/2023	अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व मेसर्स इंडस हॉस्पिटल्स, बनाम राजीव लोचन सिंह	विशाखापत्तनम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अधिकरण-II
4	1824/2023	अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व मेसर्स इंडस हॉस्पिटल्स, बनाम राजीव लोचन सिंह	विशाखापत्तनम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अधिकरण-II
5	1858/2023	महिंद्रा एंड महिंद्रा अधिकरण प्रभाग बनाम सुमित कुमार व अन्य	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण अधिकरण, सोनीपत, हरियाणा

6	82/2024	मेसर्स इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य बनाम सुश्री शेख मुमताज व अन्य	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग सं. 1, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
7	2934/2024	तनेजा डेवलपर्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व अन्य बनाम राज कुमार	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब, चंडीगढ़
8	2292/2024	वर्मन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम निदेशालय नागरिक निदेशालय, बिहार सरकार	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पटना, बिहार
9	2637/2024	द ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम रविंदर सिंह कांग	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़, पंजाब
10	2892/2024	इंद्राणी बैश्य व अन्य बनाम भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष व अन्य	असम राज्य उपभोक्ता विवाद आयोग, गुवाहाटी
11	3099/2024	डीएचएफएल प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोहन सिंह व अन्य	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ पंजाब

12	2407/2024	प्रबंधक महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड के माध्यम से महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम पटेल संगीताबेन जगदीशभाई व अन्य	गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अहमदाबाद

75. यह न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि वर्तमान याचिकाओं में एनसीडीआरसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों पर इस न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और न ही उनका परीक्षण किया गया है तथा वर्तमान याचिकाओं का निपटान केवल अधिकारिता के अभाव के आधार पर किया गया है।

76. यह न्यायालय दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रदान की गई अद्भुत सहायता को स्वीकार करता है और उसकी सराहना करता है।

(मनोज जैन)
न्यायधीश

12 सितंबर, 2024
एसटी/डीआर/एसडब्ल्यू

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*